न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्, गोपालगंज

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1252/2026

नीरज सिंह बनाम सरकार

15.07.2026 आवेदक **नीरज सिंह** की ओर से यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिन्हें **मांझागढ़ थाना कांड सं0–195/2026, अंतर्गत धारा– 126(2), 115 (2), 118(1), 109(1), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता** में गिरफ्तारी की आशंका है, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री उदय कुमार तथा सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियोजन मामले का संक्षेप में कथन बयानकर्ता के द्वारा दिये गये फर्द बयान के अनुसार है कि 03.05.2026 को समय सुबह 10:45 बजे बयानकार्त अपने दरवाजे पर बैठा था तभी उसके गांव के नीरज सिंह, बब्लू सिंह, मनीष सिंह, सत्यम सिंह सभी एक राय एवं सजिस के तहत आये और बयानकर्ता को घेर लिये तभी बब्लू सिंह ने बोला कि साला जमीन नहीं दे रहा है इसे जान से मार दो जिस पर नीरज सिंह ने हाथ में लिये तलवार से बयानकर्ता के सर पर मारा जिससे उसके सर पर कट गया तथा खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया उसका भतीजा उसे बचाने आया तो उसे भी नीरज सिंह ने तलवार से मारा जिससे उसके हाथ पर कट गया तथा खून बहने लगा। इसी बीच उसके भाई बचाने आये तो उन्हें भी मनीष सिंह ने अपने हाथ में लिये लोहे की राड से मारकर जख्मी कर दिया। गांव के लोग आये और बीच बचाव किये। अभियुक्तों पर भूमि हड़पने के दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। जख्मियों का ईलाज सदर अस्पताल गोपालगंज में हुआ तथा धीरज सिंह की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर ईलाज हेतु रेफर कर दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झुठे केस में फंसाया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक नीरज सिंह पर जख्म कारित करने का सीधा आरोप है। आवेदक के विरुद्ध बी.एन.एस की धारा 109(1) के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है। उभय पक्षों में जमीनी विवाद है तथा दोनों तरफ से मारपीट हुआ है। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त केस की प्राथमिकी आवेदक सहित कुल 4 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 126(2), 115 (2), 118(1), 109(1), 352, 351(2), 3(5) बी. एन. एस दर्ज कराया गया है। प्रथमिकी के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि अपने हाथ में लिये तलवार से जान मारने की नियत से सूचक के सिर पर प्रहार किया

लगातार
15.07.2026

तथा सूचक को बचाने आये आकाश कुमार पर भी प्रहार किया। काण्ड दैनिकी की कंडिका 5, 6 एवं 7 में साक्षियों का बयान तथा कंडिका 15 में वादी का पुनः बयान है। सभी ने उपरोक्त कथन का समर्थन किया है। जख्मी धीरज कुमार सिंह के जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि शरीर के मर्म भाग अर्थात सिर पर दो चोटें हैं और जख्मी आकाश कुमार के हाथ में चोट है। आवेदक पर यह सीधा आरोप है कि इन्होंने सूचक के सिर पर तलवार से प्रहार किया। मामले में अनुसंधान जारी है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आवेदक **नीरज सिंह** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन एतद्द्वारा **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/– राजेश कुमार वर्मा
अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्
गोपालगंज

ज्ञापांक–..... दिनांक–.....

प्रतिलिपिः– न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज को मांझागढ़ थाना काण्ड संख्या–195/2026 के मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सत्र न्यायाधीश–दशम्,
गोपालगंज